

व्यपर्वर्तन प्रकरणों के निराकरण का सरलीकरण :-

- आम जनता की सुविधा हेतु कृषि भूमि का गैर कृषि भूमि में परिवर्तन की त्वरित अनुमति देने तथा गैर कृषि प्रयोजन के लिए प्रब्याजि और वार्षिक भू-भाटक के निर्धारण के लिए सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अधिसूचित किया गया है।
- व्यपर्वर्तन के प्रकरणों में आवेदक को खसरा बी-1, नक्शा एवं आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अतिरिक्त जांच की कार्यवाही 15 दिवस के भीतर पूर्ण करते हुए व्यपर्वर्तन की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश जारी किये गये हैं।
- विकास योजना के अंतर्गत सम्मिलित ग्रामों के लिए 5000 (पांच हजार) वर्गफीट तक की भूमि के डायवर्सन के आवेदन सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे।
- विकास योजना के अंतर्गत सम्मिलित ग्रामों के लिए 5000 (पांच हजार) वर्गफीट से अधिक भूमि के डायवर्सन आवेदन सर्वप्रथम नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा। नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय से अभिमत प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा व्यपर्वर्तन किया जावेगा।

“विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (विना डाक टिकट) के प्रेरण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. मिताई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/तुर्मुखी/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 76]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 4 फरवरी 2020 — माघ 15, शक 1941

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 4 फरवरी 2020

अधिसूचना

क्र. एफ 4-47/सात-1/2019.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 258 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदुद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य के किसी नगर या ग्राम में, उक्त संहिता की धारा 59 की उप-धारा (5) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट भूमि से भिन्न किसी कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजनों के लिए व्यवर्तित करने पर, वार्षिक भू-भाटक की वसूली के प्रयोजन के लिए, वार्षिक भू-भाटक के निर्धारण के परिवर्तन एवं प्रीमियम के अधिरोपण संबंधी अधिसूचना क्रमांक 175-6477-सात-एन-(नियम), दिनांक 06 जनवरी, 1960 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त संहिता की धारा 258 की उप-धारा(3) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, —

नियम 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एवं 12 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

“ 5. वार्षिक भू-भाटक निर्धारण की दर-

संक्र.	प्रयोजन	वार्षिक भू-भाटक की निर्धारण दर
(1)	(2)	(3)
(1)	आवासीय इकाई/आवासीय कॉलोनी/आवासीय परियोजना/ सार्वजनिक प्रयोजन/ संरक्षणात्मक प्रयोजन/ पूर्ति प्रयोजन ।	प्रचलित गाईड लाईन मूल्य का 0.30 प्रतिशत ।
(2)	व्यवसायिक प्रयोजन/ चिकित्सा सुविधा केन्द्र ।	प्रचलित गाईड लाईन मूल्य का 0.60 प्रतिशत ।
(3)	औद्योगिक / वाणिज्यिक/ खनन प्रयोजन ।	प्रचलित गाईड लाईन मूल्य का 0.60 प्रतिशत ।

6. वास्तविक निर्धारण को तय करते समय, किसी भू-भाग का 5 वर्गमीटर से कम का क्षेत्रफल 5 वर्गमीटर समझा जायेगा । अन्य स्थितियों में 5 वर्गमीटर तक का क्षेत्रफल गिनती में नहीं लिया जायेगा एवं 5 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 10 मीटर से कम का क्षेत्रफल 10 वर्गमीटर समझा जायेगा । ऐसा निर्धारण निकटतम रूपये तक आंकलन करते समय शुद्ध रूप में होगा ।
7. भूमिस्वामी/ पट्टेदार द्वारा गैर कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित वार्षिक भू-भाटक की राशि को, 15 वर्ष के लिए एक साथ भुगतान करने पर, उसे आगामी 15 वर्ष (16 वें वर्ष से लेकर 30 वें वर्ष) तक भू-भाटक भुगतान से छूट प्राप्त होगी ।
8. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 92 एवं धारा 98 के प्रावधानों के अनुसार, नगरीय क्षेत्रों में निर्धारण के प्रत्येक 30 वर्षों के पश्चात, वार्षिक भू-भाटक का पुनरीक्षण किया जायेगा । ”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम.डी.बीबान, संयुक्त सचिव,

Atal Nagar, the 4th February 2020

NOTIFICATION

No.F.4-47/Seven-1/2019.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 258 read with Section 59 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No.20 of 1959), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Notification No. 175-6477-VII-N (Rules),dated 6th, January,1960 regarding alteration of assessment of Annual Land Rent and imposition of premium, for the purpose of recovery of annual land Rent in any town or village in the State of Chhattisgarh on diversion of any agricultural land other than the land specified in proviso of sub-section (5) of Section 59 of the said code for non-agricultural purposes, the same having been previously published as required by sub-section (3) of Section 258 of the said code, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

For rules 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 and 12, the following shall be substituted, namely :-

"5. Annual Land Rent Assessment Rate-

S.No.	Purpose	Annual Land Rent Assessment Rate
(1)	(2)	(3)
(1)	Residential Unit/Residential Colony/ Residential Project/Public Purpose/ Institutional Purpose /Charitable Purpose.	0.30 Percent of the value of Prevailing guide line.
(2)	Business Purpose /Medical Facility Centre.	0.60 Percent of the value of Prevailing guide line.

(3)	Industrial Purpose/ Commercial / Mining purpose.	0.60 Percent of the value of Prevailing guide line.
-----	--	---

6. In fixing the actual assessment, the area of plot measuring less than 5 square meter shall be taken to be 5 square meter. In other cases areas up to 5 square meter shall be ignored, and areas exceeding 5 square meter but below 10 square meter shall be taken as 10 square meter. The assessment shall be correct to the nearest rupees.
7. A bhumiswami /lessee upon payment of the amount of annual land rent fixed for non-agricultural purpose for 15 years together, shall be exempted from the payment of land rent for the forth coming 15 Year (from 16 th year to 30 th year).
8. As per the provisions of Section 92 and Section 98 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No.20 of 1959), the Annual Land Rent shall be revised after every thirty years of assessment in urban area."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M.D.DIWAN, Joint Secretary.

व्यपवर्तन (डायवर्सन) के लिए ऑनलाइन आवेदन

<https://revenue.cg.nic.in/revcase>

नागरिक राजस्व न्यायालय की वैबसाइट मे दिये गए लिंक पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं।

 राजस्व न्यायालय, छत्तीसगढ़ शासन 

[न्यायालयीन उपयोगकर्ता लॉगिन](#)

 [राजस्व न्यायालय मे आवेदन प्रस्तुत करने हेतु क्लिक करें](#)

महत्वपूर्ण सुविधाएँरिपोर्ट्स

 [प्रकरण/आवेदन क्रमांक डालिए](#) 

 [डैशबोर्ड](#) 

 [आज सुनवाई के लिए नियत प्रकरण](#)

 [प्रकरण खोजें](#)

 [विचाराधीन लुसरा खोजें](#)

 [आदेशापत्र प्रगति रिपोर्ट](#)

 [मासिक प्रगति रिपोर्ट](#)

 [लोकसेवा रिपोर्ट](#)

 [शीर्षकावार प्रकरणों की स्थिति](#)

 [न्यायालयवार प्रकरणों की स्थिति](#)

 REV CASE
राजस्व न्यायालय का एडोडॉड
एन ग्रूप लि. द्वारा से
डाटासेलेक्ट ब्रैंड

राजस्व न्यायालय : एक परिचय

राजस्व न्यायालय मे कोरेक्टर से लेकर नायब तहसीलदार तक के सभी न्यायालय पंजीकृत हैं।

प्रकरणों के पंजीयन से लेकर अंतिम निराकरण तक सारी कार्यवाही जैसे कि आदेश पत्र लिखना, साक्ष्य अंकित करना एवं अंतिम आदेश पारित करना आदि ऑनलाइन करने या अपलोड करने का प्रावधान।

राजस्व न्यायालय मे प्राप्त होने वाले सभी आवेदन ऑनलाइन दर्ज कर आवेदक को पावती प्रदाय करने की व्यवस्था।

पक्षकारों को उनके प्रकरणों मे की जा रही कार्यवाही की अद्वातन जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध।

विचाराधीन प्रकरण एवं खसरा की जानकारी उपलब्ध।

पक्षकारों को सुनवाई पक्षत आगामी पेशी तारीख की SMS  के माध्यम से सूचना संप्रेषण का प्रावधान।

प्रत्येक न्यायालय की वाद सूची ऑनलाइन उपलब्ध करने का प्रावधान।

आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देश

क्रमशः सेवशन 1,2,3 एवं 4 की सही जानकारी दें।

आवेदन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज़ जो आपके पास उपलब्ध हैं उनकी पीडीएफ बनाकर सेवशन 1 मे अवश्य अपलोड करें।

आवेदक एवं अनावेदक की जानकारी सही-सही भरें।


ओटीपी प्राप्त करने हेतु मोबाइल नंबर का चयन करें। ओटीपी प्राप्त करें बटन पर क्लिक करने पर 4 अंको राजस्व ओटीपी प्राप्त होगा।

मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी की एट्री कर सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें।

कम्प्यूटर जर्नेटेड नंबर के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।

© राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

डायर्सन की ऑनलाइन प्रक्रिया

- 
- नागरिक द्वारा आवेदन दर्ज करना
 - आवेदन को पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वीकृत करना
 - रीडर द्वारा प्रकरण दर्ज करना
 - पीठासीन अधिकारी द्वारा सुनवाई, आदेश पत्र जारी करना
 - ईश्तहार, ज्ञापन, प्रतिवेदन की कार्यवाही
 - अंतिम आदेश जारी करना
 - प्रकरण नस्तिबद्ध करना एवं पालन प्रतिवेदन हेतु अग्रेषित करना

आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देश



क्रमशः सेक्शन 1,2,3 एवं 4 की सही जानकारी दें।



आवेदन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज़ जो आपके पास उपलब्ध हैं उनकी पीडीएफ़ बनाकर सेक्शन 1 मे अवश्य अपलोड करें।



आवेदक एवं अनावेदक की जानकारी सही-सही भरें।



ओटीपी प्राप्त करने हेतु मोबाइल नंबर का चयन करें। ओटीपी प्राप्त करें बटन पर क्लिक करने पर 4 अंको राजस्व ओटीपी प्राप्त होगा।



मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी की एंट्री कर सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें।



कम्प्युटर जनरेटेड नंबर के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

:: अधिसूचना ::

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 24.06.2020

क्रमांक एफ-4-124/सात-3/2011 : छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-124/सात-3/2011 दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करती हैं. अर्थात् :-


संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, -


सरल क्रमांक 14 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित जोड़ा जाये.
अर्थात् :-

सं. क्र.	कार्यालय/ निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाधिकारी (पद)	सकाम प्राधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
15	कार्यालय कलेक्टर	नगरीय क्षेत्रों में 7500 वर्गफुट तक भूमि का आवंटन	120 कार्य दिवस	कलेक्टर	संभागायुक्त	सचिव, राजस्व
16	कार्यालय कलेक्टर	नगरीय क्षेत्रों में 7500 वर्गफुट तक अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन	120 कार्य दिवस	कलेक्टर	संभागायुक्त	सचिव, राजस्व
17	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी	व्यापवर्त्तन प्रकरणों का निराकरण (5000 वर्गफुट तथा 5000 वर्गफुट से अधिक)	90 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	कलेक्टर	संभागायुक्त

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एम.डी. दीवान)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

व्यपवर्तन के लिए दस्तावेज़ आवेदन अपलोड करना होता है। साथ ही वाद भूमि की जानकारी, आवेदक /अनावेदक की जानकारी भरें। आवेदक के मोबाइल पर ओटीपी भेजी जाती है। इसके बाद एक आवेदन क्रमांक प्राप्त होता है जिससे आवेदन की स्थिति पता की जा सकती है।

 राजस्व न्यायालय, द्विसिंगड़ शासन

1. सामान्य जानकारी

मामले का प्रकार :*

आवेदन का विवरण :*

आवेदन लिंग :

Choose File | No file chosen

दस्तावेज अपलोड :*
* आवेदन से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज़ की एक पीडीएफ़ फाइल बनाकर अपलोड करें।
• रीझांकन के आवेदन के लिए चालान, भूमि के खसरा-बी। एवं नदशा की पति अवश्य प्रस्तुत करें।

2. वाद भूमि की जानकारी

जिला :*

न्यायालय जहां आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं :*

तहसील चुनें :*

ग्राम का नाम :*

खसरा क्रमांक चुनें :*

एक से अधिक खसरों के लिये कृपया एक एक करके खसरा चुनते जाइये

3. आवेदक की जानकारी

आवेदक/अपीलार्थी/कार्यालय का नाम :- * अजय कुमार

पिता/पाति/विभाग का नाम :- * विजय कुमार

वर्ग :- अनु. जाति

जाति :- इमराल

सिंग :- पुरुष

उम्र :- 45

मोबाइल/सम्पर्क नम्बर :- 9876543210

पता :-

ई-मेल :-

अधिवक्ता का नाम :-

अधिवक्ता का मोबाइल नम्बर :-

आवेदक जोड़ें

क्र.	आवेदक	पिता	वर्ग	जाति/प्रकार	सिंग	उम्र	मोबाइल नम्बर	पूर्ण पता	ई-मेल	अधिवक्ता का नाम	अधिवक्ता ग्रो
A1	अजय कुमार	विजय कुमार	अनु. जाति	इमराल	पुरुष	45	9876543210				

4. अनावेदक की जानकारी

अनावेदक/कार्यालय का नाम :- *

पिता/पाति/विभाग का नाम :- *

वर्ग :- चूनेवें

जाति :-

सिंग :- चूनेएं

उम्र :-

मोबाइल/सम्पर्क नम्बर :-

पता :-

ई-मेल :-

अधिवक्ता का नाम :-

अधिवक्ता का मोबाइल नम्बर :-

अनावेदक जोड़ें

OTP प्राप्त करने हेतु मोबाइल नंबर चुनें

ओटीपी प्राप्त करें

सुरक्षित करें

- आवेदन सीधे संबन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को दिखने लगता है जिसे प्रकरण दर्ज करने के लिए रीडर को प्रेषित किया जाता है ।
- पीठासीन अधिकारी से अग्रेषित आवेदन रीडर के द्वारा दर्ज किया जाता है जिसके बाद एक प्रकरण क्रमांक जनरेट होता है । जो कि आगे की सभी कार्यवाहियों के लिए उपयोग किया जाता है
- पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण मे आदेश पारित किया जाता है एवं आगे की सुनवाई का कारण और दिनांक दिया जाता है
- प्रकरण मे नोटिस , इश्तिहार /जापन जारी किया जा सकता है
- भूमि के संबंध मे संबन्धित पटवारी या न्यायालय से प्रतिवेदन मंगाया जा सकता है ।

आवेदन की स्थिति देखने के लिए मुख्य पृष्ठ पर आवेदन क्रमांक डालकर स्टेट्स चेक करें

राजस्व न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु क्लिक करें

महत्वपूर्ण सुविधाएँ/रिपोर्ट्स

201902/PA26040001 खोजें

- डैशबोर्ड new
- आज सुनवाई के लिए नियत प्रकरण
- प्रकरण खोजें
- विचाराधीन खसरा खोजें
- आदेशपत्र प्रगति रिपोर्ट
- मासिक प्रगति रिपोर्ट
- लोकसेवा रिपोर्ट
- शीर्षवार प्रकरणों की स्थिति
- न्यायालयवार प्रकरणों की स्थिति
- लोकसेवा गारंटी

REVCASE
राजस्व न्यायालय का एडरोइड
एप्प गूगल लें-स्टोर से
डाउनलोड करें

राजस्व न्यायालय

राजस्व :

प्रकरणों

राजस्व :

पक्षकारं

विचारधं

पक्षकारं

प्रत्येक न





आवेदन क्रमांक	201902/PA26040001
आवेदन करने का दिनांक	14/02/2019
मामले का प्रकार	मूल मामला
तहसील	ओड़गी
ग्राम	नोगई
खसरा नं (रकबा)	269(रकबा: 0.0300 हेतु), 851(रकबा: 0.2500 हेतु), 272(रकबा: 0.0100 हेतु), 271(रकबा: 0.0100 हेतु), 264(रकबा: 0.0400 हेतु)
आवेदक	सुरेश कुमार वैग,
अनावेदक	गुलाबचंद
विवरण	भू -अभिलेख में नाम सुधार के संबंध में आवेदन पत्र: -----न्यायालयीन कार्यवाही-----
पीठासीन अधिकारी	BIHARILAL RAJWADE
न्यायालय	नायब तहसीलदार बिहारपुर
पता	बिहारपुर
प्रकरण क्र.	201902261800001
प्रकरण वर्ष	2018-2019
रजिस्ट्रेशन दिनांक	25/02/2019
प्रकरण शीर्ष	अ-6 अ
कुल जारी आर्डरशीट	1
जांच हेतु भेजने का दिनांक	प्रकरण जांच हेतु नहीं भेजा गया है
अगली सुनवाई दिनांक	06/03/2019
सुनवाई विषय	आवेदक के दस्तावेज हेतु
क्षेत्र	ग्रामीण
प्रकरण की स्थिति	कार्यवाही प्रक्रियाधीन